Research Journal of Language, Literature and Humanities ______________________________E-ISSN 2348-6252
Vol. 9(3), 12-16, September (2022) Res. J. Lang. Lit. Humanities

घरेलू हिंसा: हमारे समाज का काला सच

वकास यादव
भगवानदीन यादव पी.जी. कॉलेज, हरखपुर, प्रयागराज, भारत
vikasyadava001@gmail.com

Available online at: www.isca.in, www.isca.me
Received 14th March 2020, revised 13th April 2021, accepted 20th May 2022

Abstract

घरेलू हिंसा को कसी भी रिश्ते में व्यवहार के एक प्रतिरूप के रूप में परिभा षत कया जा सकता है जो एक अंतरंग साथी पर शक्ति और नियंत्रण हा सल करने या बनाए रखने के लए उपयोग कया जाता है। दुर्व्यवहार शारीरिक, यौन, भावनात्मक, आ र्थक या मनोवैज्ञानिक कार्य या कसी अन्य व्यक्ति को प्रभा वत करने वाले कार्यों की धमकी हो सकती है। इसमें कोई भी व्यवहार शा मल हो सकता है जो कसी को डराने, आतं कत करने, हेरफेर करने, चोट पहुंचाने, अपमानित करने, दोष देने या कसी को घायल करने के लए कया जाता है। घरेलू हिंसा कसी भी जाति, उम्र, यौन अ भ वन्यास, धर्म या लंग के कसी भी व्यक्ति को हो सकती है। यह उन जोड़ों के लए हो सकता है जो ववाहित हैं, साथ रह रहे हैं। घरेलू हिंसा सभी सामाजिक आ र्थक पृष्ठभू म और शक्षा के स्तर के लोगों को प्रभा वत करती है। घरेलू हिंसा के प्रबंधन के लए अनिवार्य रूप से कानून प्रवर्तन, सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। यद्य प इस दिशा में प्रयास कए गए हैं, ले कन उपस्थित मामले हिमशैल के सर्फ शीर्ष का प्रतिनि धत्व करते हैं, क्यों क अ धकांश मामलों को परिवार के सदस्यों के सामाजिक दबाव या मानहानि के सामाजिक कलंक के कारण प्रतिवेदित नहीं कया जाता है। इन मामलों में वास्त वक परिवर्तन केवल शक्षा और बेहतर कानून प्रवर्तन के माध्यम से समाज की मान सकता को बदलकर लाया जा सकता है।

Keywords: घरेलू हिंसा ,स्वास्थ्य देखभाल ,कानून प्रवर्तन ,शोषण ,सामाजिक कल्याण।

प्रस्तावना

घरेलू हिंसा अर्थात् कोई भी ऐसा कार्य जो कसी महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य ,सुरक्षा ,जीवन के संकट ,आ र्थक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दुःख एवं अपमान सहना पड़े ,इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शा मल कया जाता है। इसे घरेलू दुर्व्यवहार ,चंचल दुर्व्यवहार एवं पारिवारिक हिंसा के रूप में भी जाना जाता है। घरेलू हिंसा सहवास अथवा ववाह जैसे बंधनों के बाद घरेलू स्तर पर एक साथी का अन्य साथी के साथ मारपीट अथवा दुर्व्यवहार को प्रकट करने वाला शब्द है।[1] अंतरंग साथी अथवा जीवन साथी के साथ दुर्व्यवहार भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। घरेलू हिंसा वपरीत लंगी अथवा समलैं गक संबंधों में भी हो सकती है। घरेलू हिंसा के शारीरिक ,भावनात्मक ,मौ खक ,आ र्थक और यौन शोषण सहित व भन्न रूप हो सकते हैं ,जिसमें धूर्तता से लेकर ववाह पश्चात बलात यौन सम्बन्ध और हिंसक शारीरिक शोषण भी शा मल हैं एवं इसके परिणामस्वरूप मान सक अथवा शारीरिक वरूपण अथवा मौत भी संभव है।

वैश्विक रूप से सामान्यतः पत्नी अथवा महिला साथी घरेलू हिंसा की शकार अ धक होती है हालां क इसका शकार पुरुष साथी अथवा दोनों एक दूसरे के खलाफ घरेलू हिंसा का शकार हो सकते हैं अथवा दोषी आत्मरक्षा या प्रतिशोध के कारण भी घरेलू हिंसा का शकार हो सकता है। जब क वक सत वश्व में घरेलू हिंसा की शकार महिलाओं को प्रा धकारियों के पास खुले आम शकायत करने के लए प्रोत्साहित कया जाता है ,यह तर्क दिया जाता है क पुरुषों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को प्रतिवेदित नहीं कया जाता क्यों क इससे उन्हें सामाजिक रूप से कायर और पुरुषत्वहीन मान लया जाता है।

घरेलू हिंसा के प्रकार

घरेलू शोषण के सभी रूपों का एक उद्देश्य है ,पी ड़त पर नियंत्रण हा सल करना और उसे बनाए रखना। अ भजन अपने जीवनसाथी या साथी पर प्रभुत्व ,अपमान ,अलगाव ,धमकी , इन्कार और दोष के रूप में सत्ता छोड़ने के लए कई रणनीति का उपयोग करते हैं। घरेलू हिंसा के कुछ प्रकार निम्न ल खत हैं-

शारीरिक शोषण: शारीरिक शोषण एक तरह से दुर्व्यवहार ,दर्द , चोट ,या अन्य शारीरिक पीड़ा या शारीरिक नुकसान की भावनाओं का कारण बनने के लए संपर्क से जुड़ा है। इसमें थप्पड़ मारना ,मुक्का मारना ,धकेलना ,जलाना और अन्य प्रकार के संपर्क शा मल हैं जिसके परिणामस्वरूप पी ड़त को शारीरिक चोट पहुंचती है। शारीरिक शोषण में ऐसे व्यवहार भी शा मल हो सकते हैं जिसमें जरूरत पड़ने पर पी ड़त व्यक्ति को च कत्सा देखभाल से वं चत करना ,नींद से पी ड़त को वं चत करना या जीने के लए आवश्यक अन्य कार्य ,या पी ड़त को उसकी मर्जी के खलाफ दवा/शराब के उपयोग में शा मल होने के लए मजबूर करना।[2] यदि कोई व्यक्ति कसी शारीरिक नुकसान से पी ड़त है तो वे शारीरिक शोषण का सामना कर रहे हैं। इस दर्द को कसी भी स्तर पर अनुभव कया जा सकता है। इसमें पी ड़तों को मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाने के लए बच्चों या पालतू जानवरों जैसे अन्य लक्ष्यों पर शारीरिक चोट पहुंचाना भी शा मल हो सकता है।

यौन शोषण और वैवाहिक बलात्कार: यौन शोषण ऐसी स्थिति है जिसमें अवांछित यौन गति व ध में भागीदारी प्राप्त करने के लए बल या धमकी का उपयोग कया जाता है। कसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के वरुद्ध यौन गति व ध में संलग्न करना , भले ही वह व्यक्ति जीवनसाथी हो या अंतरंग साथी जिसे सहमति से सहवास हुआ है ,वह आक्रामकता और हिंसा का कार्य है।

भावनात्मक शोषण: भावनात्मक दुर्व्यवहार) जिसे मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या मान सक शोषण भी कहा जाता है (में पी ड़त को निजी या सार्वजनिक रूप से अपमानित करना शा मल हो सकता है। इसके अंतर्गत पी ड़त व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता इसे नियंत्रित करना ,पी ड़त से जानकारी वापस लेना ,जानबूझकर पी ड़त को कम या अ धक श र्मंदा महसूस कराने के लए कुछ करना ,पी ड़त को मत्रों और परिवार से अलग करना आदि भी शा मल होता है।[3] जब पी ड़त व्यक्ति स्वतंत्रता या खुशी व्यक्त करता है या पी ड़त को धन या अन्य बुनियादी संसाधनों और आवश्यकताओं तक पहुंच से वं चत कया जाता है तो उसके द्वारा दूसरों को नुकसान पहुँचाना , भयादोहन करना आदि कसी भी रूप में मान सक गरावट को मनोवैज्ञानिक शोषण माना जा सकता है।

भावनात्मक दुर्व्यवहार में परस्पर वरोधी कार्रवाई या बयान शा मल होते हैं जो पी ड़त में भ्रम और असुरक्षा पैदा करने के लए र चत कए गए होते हैं। ये व्यवहार पी ड़तों को खुद पर सवाल उठाने के लए प्रेरित करते हैं ,जिससे उन्हें वश्वास हो जाता है क उनका शोषण कया जा रहा है या यह शोषण उनकी गलती है। भावनात्मक दुर्व्यवहार से गुजरने वाली महिलाएं या पुरुष अक्सर अवसाद से पी ड़त होते हैं ,जो उन्हें आत्महत्या ,खाने के वकार और नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग के जो खम में वृ द्ध करता है।

भावनात्मक शोषण में मौ खक दुर्व्यवहार शा मल हो सकता है जिसे कसी भी व्यवहार के रूप में परिभा षत कया जाता है , जो पी ड़त के आत्म-सम्मान को खतरे में डालता है या धमकाता है या पी ड़त की स्वतंत्रता को नियंत्रित करता है।[4] मौ खक दुर्व्यवहार भावनात्मक रूप से अपमानजनक व्यवहार का एक रूप है जिसमें भाषा का उपयोग शा मल है। मौ खक दुर्व्यवहार को धमकी का कार्य भी कहा जा सकता है। धमकी के माध्यम से एक व्यक्ति यह कह सकता है क वे कसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाएंगे और इसको शोषण के रूप में भी माना जाएगा।

आ र्थक शोषण: आ र्थक शोषण भी एक प्रकार का शोषण है , जब एक अंतरंग साथी का दूसरे साथी की आ र्थक संसाधनों तक पहुंच पर नियंत्रण होता है। आ र्थक शोषण में पति-पत्नी को संसाधन प्राप्त करने से रोकना ,पी ड़त द्वारा उपयोग कए जाने वाले संसाधनों की मात्रा को सी मत करना या पी ड़त के आ र्थक संसाधनों का शोषण शा मल हो सकता है।

एक पति या पत्नी को संसाधनों को प्राप्त करने से रोकने के पीछे का उद्देश्य पी ड़त की उसकी क्षमता का समर्थन करना है ,

इस प्रकार उसे आ र्थक रूप से अपराधी पर निर्भर रहना पड़ता है ,जिसमें पी ड़त को शक्षा प्राप्त करने से रोकना ,रोजगार प्राप्त करना ,संपत्ति प्राप्त करना और अपने करियर को बनाए रखना या आगे बढ़ाना शा मल है।

समलैं गक संबंधों के भीतर घरेलू शोषण: समलैं गकता का अर्थ है , कसी व्यक्ति का समान लंग के लोगों के प्रति यौन रूप से आक र्षत होना है। वे पुरुष ,जो अन्य पुरुषों के प्रति आक र्षत होते है उन्हें पुरुष सम लंगी) गे (और जो महिला कसी अन्य महिला के प्रति आक र्षत होती है उसे भी महिला सम लंगी)लेस्बियन (कहा जाता है।

समलैं गक जोड़ों के बीच घरेलू हिंसा के मुद्दे को समाज में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली लंग भू मकाओं के कारण कम दर्ज कया जा सकता है। समलैं गकों के बीच घरेलू हिंसा का मुद्दा एक गंभीर सामाजिक चंता का वषय बन गया है। समलैं गक संबंधों के बीच हिंसा का दायरा डराने-धमकाने, या हिंसा के प्रतिरूप को प्रद र्शत करता है जो अपने साथी पर अपराधी के लए बढ़ी हुई शक्ति और नियंत्रण प्राप्त करता है। समलैं गक संबंधों में घरेलू हिंसा के रूपों में शारीरिक शोषण शा मल है- जैसे मारना ,गला घोंटना ,ह थयारों का उपयोग करना ;भावनात्मक शोषण- जैसे झूठ बोलना ,उपेक्षा करना और नीचा दिखाना ;डराने-धमकाने की धमकी ,जैसे पी ड़त ,उनके परिवार या उनके पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाने की धमकी ;यौन शोषण ,जैसे जबरदस्ती यौन संबंध बनाना या सुर क्षत यौन संबंध से इंकार करना ;आ र्थक- जैसे पी ड़त के पैसे को नियंत्रित करना और वत्तीय निर्भरता को मजबूर करना।

प्रभाव

शारीरिक प्रभाव: टूटी हुई हड् डयाँ , सर में चोट और आंतरिक रक्तस्राव एक घरेलू हिंसा की घटना के कुछ तीव्र प्रभाव हैं जिनमें च कत्सा पर ध्यान देने और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। कुछ पुरानी स्वास्थ्य स्थितियां जो घरेलू हिंसा के पी ड़तों से जुड़ी हुई हैं ,वे हैं गठिया ,श्रो ण दर्द और माइग्रेन। घरेलू हिंसा के दौरान गर्भवती होने वाली महिलाओं को गर्भपात , पूर्व-प्रसव ,और भ्रूण की मृत्यु या चोट लगने का अ धक जो खम होता है।

मनोवैज्ञानिक प्रभावः उन पी ड़तों में जो अभी भी अपने दोषी व्यक्ति के साथ उच्च मात्रा में तनाव ,भय और चंता के साथ रह रहे हैं की चंता आमतौर पर बताई जाती है। अवसाद भी आम है ,क्यों क पी ड़तों को भड़काने के लए ,दोषी महसूस करने के लए बनाया जाता है और उन्हें अक्सर तीव्र आलोचना के अधीन कया जाता है। यह बताया गया है क 60 प्रतिशत पी ड़त या तो संबंध के समापन के दौरान या बाद में अवसाद के नैदानिक मानदंडों को पूरा करते हैं ,और उनके आत्महत्या की प्रवृत्ति का बहुत अ धक जो खम होता है।

अवसाद के अलावा ,घरेलू हिंसा के शकार भी आमतौर पर लंबे समय तक चंता और घबराहट का अनुभव कराते हैं और सामान्यीकृत चंता , वकार एवं आतंक वकार के लए नैदानिक मानदंडों को पूरा करने की संभावना होती है। घरेलू हिंसा का सबसे अ धक संद र्भत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पोस्ट-ट्रमेटिक स्ट्रेस डसॉर्डर है।

पोस्ट-ट्रमेटिक स्ट्रेस डसअर्डर फ्लैशबैक ,घुसपैठ छ वयों , अतिरंजित चैंकाने वाली प्रति क्रया ,दुःस्वप्न ,और शोषण से जुड़े ट्रिगर्स से बचने के लए एक वशेषता है। पी ड़त द्वारा खतरनाक स्थिति छोड़ने के बाद इन लक्षणों को आम तौर पर लंबे समय तक अनुभव कया जाता है।[5] कई शोधकर्ता बताते हैं क यह घरेलू हिंसा के मनोवैज्ञानिक प्रभावों से पी ड़त लोगों के लए संभवतः सबसे अच्छा निदान है ,क्यों क यह आघात के पी ड़तों द्वारा आमतौर पर अनुभवी लक्षणों की व वधता के लए जिम्मेदार है।

 वत्तीय प्रभावः एक बार जब पी ड़त अपने दोषी को छोड़ देता है, तो वह इस वास्त वकता से दंग रह सकता है क कस हद तक शोषण ने उसकी स्वायत्तता छीन ली थी। आ र्थक दुर्व्यवहार और अलगाव के कारण, पी ड़त के पास आमतौर पर अपने और कुछ लोगों के बहुत कम पैसे होते हैं जिन पर वे मदद मांगने पर भरोसा कर सकते हैं। यह घरेलू हिंसा के शकार की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक के रूप में दिखाया गया है, और सबसे मजबूत कारक जो उन्हें अपने अपरा धयों को छोड़ने से हतोत्साहित कर सकता है।

हिंसा के कारण

घरेलू हिंसा के कारणों के रूप में कई अलग-अलग सद्धांत हैं। इनमें मनोवैज्ञानिक सद्धांत शा मल हैं जो अपराधी के व्यक्तित्व लक्षणों और मान सक वशेषताओं पर वचार करते हैं ,साथ ही सामाजिक सद्धांत जो अपराधी के वातावरण में बाहरी कारकों पर वचार करते हैं ,जैसे पारिवारिक संरचना ,तनाव ,सामाजिक शक्षा आदि। मानव अनुभव के संबंध में कई घटनाओं के साथ , सभी मामलों को कवर करने के लए कोई एकल दृष्टिकोण प्रकट नहीं होता है। जब भी कोई व्यक्ति कसी अंतरंग साथी या परिवार के सदस्य के प्रति हिंसक कार्रवाई करने का कारण बनता है ,तो घरेलू हिंसा के स्पष्ट अंतर-संबंधी चक्रों के बारे में चंता बढ़ रही होती है। घरेलू हिंसा के कुछ कारण निम्न ल खत हैं–

मनोवैज्ञानिकः मनोवैज्ञानिक सद्धांत व्यक्तित्व लक्षण और अपराधी की मान सक वशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। व्यक्तित्व के लक्षणों में अचानक क्रोध का फटना ,खराब आवेग पर नियंत्रण और खराब आत्मसम्मान शा मल हैं।[6] व भन्न सद्धांतों का सुझाव है क मनो च कत्सा और अन्य व्यक्तित्व वकार कारक हैं ,और एक बच्चे के रूप में अनुभव कया गया शोषण कुछ लोगों को वयस्कों की तुलना में अ धक हिंसक बनाता है। वयस्कता में कशोर अपराध और घरेलू हिंसा के बीच संबंध पाया गया है। अध्ययनकर्ताओं ने दुव्यवहार करने वालों में मनोरोग की उच्च घटनाओं को पाया है। कुछ शोध बताते हैं क इन घरेलू हिंसा अध्ययनों में लगभग 80 प्रतिात पुरुषों में नैदानिक मनो च कत्सा और व शष्ट व्यक्तित्व वकार प्रद र्शत हुए।

ईर्ष्या: महिलाओं के खलाफ घरेलू हिंसा के कई मामले ईर्ष्या के कारण भी होते हैं अर्थात जब एक साथी या तो बेवफा होने का संदेह करता है या रिश्ते को छोड़ने की योजना बना रहा होता है।

व्यवहार संबंधीः व्यवहार सद्धांत ,व्यवहार वश्लेषकों के काम पर आक र्षत होते हैं। प्रायो गक व्यवहार , वश्लेषण व्यवहार को बदलने के लए सीखने के सद्धांत के बुनियादी सद्धांतों का उपयोग करता है।[7] यह कार्यक्रम ,व्यवहार च कत्सा की ओर जाता है। अक्सर हिंसक कार्रवाई के पूर्ववृत्त और परिणामों की पहचान करके ,दुर्व्यवहारियों को आत्म नियंत्रण सखाया जा सकता है।

सामाजिक तनावः इसके अंतर्गत तनाव बढ़ सकता है जब कोई व्यक्ति पारिवारिक स्थिति में रह रहा हो ,बढ़े हुए दबाव के साथ। सामाजिक तनाव के अंतर्गत एक परिवार में अपर्याप्त वत्त या ऐसी अन्य समस्याओं के कारण तनाव में और वृ द्ध हो सकती है। “हिंसा हमेशा तनाव के कारण नहीं होती है , ले कन एक तरीका हो सकता है क कुछ लोग तनाव का जवाब दें। बढ़ते तनाव और वत्त और अन्य पहलुओं के बारे में संघर्ष के कारण गरीबी में परिवारों और जोड़ों को घरेलू हिंसा का अनुभव होने की अ धक संभावना हो सकती है।[8]

मान सक बीमारीः कई मान सक वकार घरेलू हिंसा के लए जो खम कारक हैं ,जिसमें कई व्यक्तित्व वकार शा मल हैं जैसे - सभी क्लस्टर बीपीडी) वशेषकर असामाजिक(, पागलपन और निष्क्रिय आक्रामकता ,द् वध्रुवीय वकार , सजोफ्रेनिया ,नशीली दवाओं का दुरुपयोग ,शराब और गरीबी आवेग नियंत्रण आदि भी जो खम कारक हैं। यह अनुमान है क सभी दुर्व्यवहारियों में से कम से कम एक तिहाई को कसी न कसी प्रकार की मान सक बीमारी है।

घरेलू हिंसा के परिणाम

पी ड़त आयु-वर्ग ,हिंसा की तीव्रता और पीड़ा की आवृत्ति के आधार पर घरेलू हिंसा के व भन्न परिणाम हैं। एक निरंतर भय ,धमकी और अपमान के तहत जीना पी ड़तों के मन में वक सत हुई भावनाओं में से कुछ हैं जो एक हिंसात्मक हिंसा के परिणामस्वरूप होती हैं।[9] घरेलू हिंसा के परिणामों को वस्तृत रूप से वर्गीत कया जा सकता है - पी ड़त पर प्रभाव या स्वयं और परिवार पर ,समाज पर प्रभाव और राष्ट्र की वृ द्ध और उत्पादकता पर प्रभाव। पी ड़त व्यक्ति पर प्रभाव के अंतर्गत महिलाओं ,पुरुषों ,बच्चों और वृद्धों के लए उपश्रे णयाँ बनाई गई हैं।

प्रबंधन

घरेलू हिंसा का जवाब आमतौर पर कानून प्रवर्तन ,सामाजिक सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल के बीच एक संयुक्त प्रयास है। घरेलू हिंसा के रूप में प्रत्येक की भू मका वक सत हुई है क्यों क सार्वजनिक दृष्टिकोण में अ धक सुधार लाया गया है। घरेलू हिंसा ऐतिहा सक रूप से एक निजी परिवार के रूप में देखी गई है जिसे सरकार या आपरा धक न्याय को शा मल

करने की आवश्यकता नहीं है। पु लस अ धकारी अक्सर गरफ्तारी करके हस्तक्षेप करने के लए अनिच्छुक होते हैं और अक्सर जोड़े को सलाह देने के लए चुना जाता है इसके अंतर्गत दोनों में से एक को समय देने के लए निवास छोड़ने के लए कहा जाता है। अदालतें मोटे तौर पर घरेलू हिंसा के दोषी लोगों पर कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाने के लए अनिच्छुक होती हैं , क्यों क इसे एक शोषण के रूप में देखा जाता है।

च कत्सा प्रति क्रयाः च कत्सा प्रति क्रया उन लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं जो शोषण का अनुभव करते हैं। पति-पत्नी के शोषण के कई मामले केवल च कत्सकों द्वारा नियंत्रित कए जाते हैं और इसमें पु लस शा मल नहीं होती है।[10] कभी-कभी घरेलू हिंसा के मामलों को आपातकालीन कक्ष में लाया जाता है, जब क कई अन्य मामलों को परिवार के च कत्सक या अन्य प्राथ मक देखभाल प्रदाता द्वारा नियंत्रित कया जाता है। च कत्सा प्रति क्रया लोगों को सशक्त बनाने, सलाह देने और उन्हें उपयुक्त सेवाओं के लए संद र्भत करने की स्थिति में हैं। स्वास्थ्य देखभाल पेशे ने हमेशा इस भू मका को पूरा नहीं कया है, देखभाल की असमान गुणवत्ता के साथ, और कुछ मामलों में घरेलू हिंसा के बारे में गलतफहमी है।

कानून प्रवर्तनः **1983** में, घरेलू हिंसा को भारतीय दंड संहिता की धारा **498-**ए की शुरूआत के द्वारा एक व शष्ट आपरा धक अपराध के रूप में मान्यता दी गई थी। यह धारा एक ववाहित महिला के प्रति पति या उसके परिवार द्वारा क्रूरता से पेश आती है। इस कानून से चार प्रकार की क्रूरता से निपटा जाता हैः i. एक महिला को आत्महत्या के लए प्रेरित करने की संभावना।ii . महिला के जीवन ,अंग या स्वास्थ्य पर गंभीर चोट लगने की संभावना।iii . महिला या उसके रिश्तेदारों को कुछ संपत्ति देने के लए मजबूर करने के उद्देश्य से उत्पीड़न। iv. उत्पीड़न ,क्यों क महिला या उसके रिश्तेदार अ धक पैसों की मांग करने में असमर्थ हैं या कुछ संपत्ति नहीं देते हैं।

सजा तीन साल तक की कैद और जुर्माना है। क्रूरता के खलाफ शकायत स्वयं व्यक्ति द्वारा दर्ज नहीं की जानी चाहिए। कोई भी रिश्तेदार उसकी ओर से शकायत कर सकता है। उपरोक्त खंड अ धक कठोर अपराध के आपरा धक प्रावधानों से संबं धत है। नागरिक कानून इस घटना को पूरी तरह से संबो धत नहीं करता है।

स वल और आपरा धक कानूनों के व्यापक ढांचे के भीतर अ धक व्यावहारिक उपायों के साथ कानून में प्रावधान की आवश्यकता थी। नागरिक कानून के तहत एक उपाय प्रदान करने के लए सं वधान के अनुच्छेद14 , 15और 21 के तहत दिए गए अ धकारों को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया गया ,जिसका उद्देश्य समाज में महिला को घरेलू हिंसा का शकार होने से बचाना और घरेलू हिंसा की घटना को रोकना है।[11]

प्रभा वत व्यक्ति के लए परामर्शः रिश्तों में हिंसा की सीमा और व्यापकता के कारण ,परामर्शदाता और च कत्सक को घरेलू हिंसा के लए हर व्या धग्रस्त का मूल्यांकन करना चाहिए)अनुभवी और स्थायी दोनों(। यदि च कत्सक युगल की काउंस लंग के लए एक जोड़े को देख रहे हैं ,तो यह आकलन प्रत्येक साक्षात्कार के दौरान निजी साक्षात्कार में व्यक्तिगत रूप से कया जाना चाहिए ,ता क रिश्ते में घरेलू हिंसा का खुलासा करने में पी ड़त की सुरक्षा की भावना बढ़े।[12] यह निर्धारित करने के अलावा क क्या घरेलू हिंसा मौजूद है ,परामर्शदाता और च कत्सक को उन स्थितियों के बीच अंतर करना चाहिए जहां पीटना एक एकल ,पृथक घटना या नियंत्रण का चलन हो सकता है। हालां क , च कत्सक को इस बात पर वचार करना चाहिए क घरेलू हिंसा तब भी मौजूद हो सकती है जब भावनात्मक या मौ खक ,आ र्थक और यौन शोषण के रूप में केवल एक ही शारीरिक घटना हुई हो।

अपरा धयों के लए परामर्शः घरेलू हिंसा के अपरा धयों के लए उपचार का मुख्य लक्ष्य अपराधी के भ वष्य के घरेलू हिंसा के जो खम को कम करना है ,चाहे वह एक ही संबंध में हो या एक नया। अपरा धयों के लए उपचार में पी ड़त को कम से कम जो खम पर जोर देना चाहिए ,और अपराधी के इतिहास , पुन र्मलन के जो खम और आपरा धक आवश्यकताओं के आधार पर संशो धत कया जाना चाहिए। यह प्रद र्शत कया गया है क घरेलू हिंसा मे अपरा धयों ने अपमानजनक व्यवहार को छिपाने के लए सामाजिक रूप से स्वीकार्य बहाना बनाए रखा है ,और इस लए जवाबदेही अपराधी उपचार कार्यक्रमों की अनुशं सत फोकस है। उपचार का सफलतापूर्वक पूरा होना आम तौर पर बुढ़ापे ,उच्च स्तर की शक्षा ,कम रिपोर्ट की गई दवा के उपयोग ,अहिंसक आपरा धक इतिहास और लंबे अंतरंग संबंधों

से जुड़ा होता है। अकेले हिंसा प्रबंधन को घरेलू हिंसा अपरा धयों के इलाज में प्रभावी नहीं दिखाया गया है ,क्यों क घरेलू हिंसा शक्ति और नियंत्रण पर आधारित है और क्रोध प्रति क्रयाओं को वनिय मत करने में समस्याओं पर नहीं। अपरा धयों के उपचार में अपमानजनक व्यवहार की समाप्ति अ धक शा मल है। इसके लए व्यक्तिगत परिवर्तन और आत्म-छ व के निर्माण की भी बहुत आवश्यकता होती है जो क इसके लए जवाबदेह होते हुए भी पूर्व व्यवहार से अलग है।

निष्कर्ष

महिलाओं के खलाफ घरेलू हिंसा के खतरे को रोकने के लए समाज के व भन्न वर्गों और सरकार द्वारा कए गए प्रयासों के बावजूद ,घरेलू हिंसा में वृ द्ध हुई है। इस लए यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक है क समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रत्येक महिला के लए हिंसा मुक्त जीवन सुनिश्चित करने में योगदान देना चाहिए। इस पर निम्न ल खत बातों द्वारा अंकुश लगाया जा सकता हैः महिलाओं को उनके अ धकारों के बारे में श क्षत करना। घरेलू हिंसा के लए सामुदायिक जांच, पी ड़त को पर्याप्त सहायता प्रदान करना। सुर क्षत आश्रयों, संकट हस्तक्षेप, वकालत और शक्षा और रोकथाम कार्यक्रमों की पेशकश करके। घरेलू हिंसा के अपराध के लए सख्त कानून और सजा का प्रावधान आदि।

संदर्भ सूची

1. एन. के. राय **(2016).** महिला हिंसा I ब्लू बक् पब्लिकेशन, नई दिल्ली. आईएसबीएन : **108193093410**
2. रिंकी भ ाचार्या **(2004).** भारत में घरेलू हिंसा: बंद दरवाजे के पीछे I ऋ ष प्रकाशन प्रा. ल मटेड. आईएसबीएन: **0761932380**
3. यू. नायर ,एच. साधवानी एवं वी. उत्तेकर **(2000).** ग्रामीण गुजरात में घरेलू हिंसा पर एक अध्ययन I भारतीय सामाजिक वज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली.
4. आर. आहूजा **(1987).** महिलाओं के खलाफ अपराध I रावत प्रकाशन, जयपुर.
5. डब्ल्यू.एच.ओ. का बुलेटिन **(2018).** घरेलू हिंसा: पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक प्राथ मक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा I पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय.
6. आर. एस .जैन **(1992).** भारत में पारिवारिक हिंसा I दीप्तिमान, नई दिल्ली.
7. कल्पना शर्मा **(2017).** भारतीय महिलाओं की सेहत का मध्यम रैंक I द हिंदूः जुलाई, चेन्नई.
8. यू. बी. आत्रेय एवं शीला रानी **(2016).** एक भारतीय माँ का व्यय I द हिंदूः जनवरी, चेन्नई.
9. डब्ल्यू.एच.ओ. का बुलेटिन (201 3). महिलाओं के खलाफ हिंसा :एक प्राथ मक स्वास्थ्य मुद्दा I वश्व स्वास्थ्य संगठन, जेनेवा.
10. अन्वेषी **(1995).** भारत में महिलाएं और उनका मान सक स्वास्थ्य I महिला अध्ययन के लए अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद.
11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार **2017-18**I **(2018).** तथ्य पत्रक :राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य .
12. सर्वेक्षण एनएफएचएस-